भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2024
उत्तर देने की तारीख- 11.12.2025

असम में अनुसूचित जनजाति की सूची में समुदायों को शामिल करने संबंधी

†2024. मोहम्मद रकीबुल हुसैन:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने छह समुदायों को अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित करने के संबंध में असम राज्य सरकार तथा सामुदायिक संगठनों के साथ परामर्श किया है; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दिया गया हैं
(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कब-कब ऐसे परामर्श किए गए और उनके क्या परिणाम रहे;
(ग) क्या भारत के महापंजीयक या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जैसे संवैधानिक निकायों ने इन पर कोई आपत्तियाँ या सिफ़ारिशें दी थीं; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा दिया गया हैं और इन मुद्दों के समाधान तथा निर्णय में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) जी नहीं।

(ख) (क) के सन्दर्भ में, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने दिनांक 15.06.1999 को (दिनांक 25.06.2002 और 14.09.2022 को पुन: संशोधित) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में समावेशन, से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों पर निर्णय लेने के लिए प्रविधियां निर्धारित की हैं। इन प्रविधियों के अनुसार, केवल उन्हीं प्रस्तावों पर विचार किया जाता है और विधान में संशोधित किया जाता है, जिन्हें संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा अनुशंसित किया गया हो और न्यायोचित माना गया हो और भारत के महापंजीयक (आरजीआई) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के द्वारा सहमति प्राप्त हो। आरजीआई/एनसीएसटी की ओर से की गई किसी प्रकार की टिप्पणी/विचार के मामले में, इन्हें स्पष्टीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भेजा गया है। इन प्रस्तावों पर समस्त कार्रवाई अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती है।

*****